पालन कर देता है। तथापि, जहां अनुज्ञा मिथ्या कथन अथवा किसी सारवान तथ्य के किसी दुर्व्यपदेशन के आधार पर प्राप्त की गयी हो तो प्रतिसंहरण का ऐसा आदेश बातिल नहीं किया जाएगा।

26. इंजीनियर आदि को अनुज्ञप्ति देना – (1) प्राधिकारी, संरचना इंजीनियरों, इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों, तथा नगर योजनाकारों को जिनके पास उपनियम (2) में अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं हों, परिशिष्ट "ग" में दिये गये प्ररूप में अनुज्ञप्ति दे सकेगा।

(2) किसी इंजीनियर आदि को अनुज्ञप्ति देने के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता कॉलम 2 में दी गई हैं।

	पदनाम	न्यूनतम अर्हता
	(1)	(2)
1.	वास्तुविद्	कोई वास्तुविद्, जो वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन वास्तुविद परिषद् में सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है, ऐसे वास्तुविद् को विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकारियों से कोई पृथक् अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी।
2.	संरचना इंजीनियर	मान्यताप्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक तथा इंजीनियर संस्था (भारत) या समकक्ष समुद्रपारीय संस्था से सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन में चार्टर्ड इंजीनियर या सह सदस्य और संरचना इंजीनियरिंग पद्धति के साथ डिजाईनिंग एवं फील्ड वर्क में तीन वर्ष का अनुभव परन्तु तीन वर्ष का अनुभव कम कर दिया जाएगा, – (क) मान्यताप्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय की संरचना इंजीनियरिंग की शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि की दशा में दो वर्ष का अनुभव अपेक्षित होगा (ख)संरचना इंजीनियरिंग में डाक्टरेट की दशा में एक वर्ष का अनुभव अपेक्षित होगा।
3.	इंजीनियर	इंजीनियर संस्था (भारत) की कार्पोरेट सदस्यता (सिविल) या सिविल नगरपालिक या संरचना इंजीनियरिंग में ऐसी उपाधि या पत्रोपाधि जो उसे ऐसी सदस्यता के लिए पात्र बनाती हो।
4.	पर्यवेक्षक	(क) स्थापत्य सहायक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव या वास्तुकला में इंटरमीडिएट या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ दो वर्ष का अनुभव ; या (ख)औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में ड्राफ्ट्समेन के साथ किसी वास्तुविद् या इंजीनियर के अधीन पांच

		वर्ष का अनुभव।
5.	नगर योजनाकार	वास्तुकला या सिविल इंजीनियरिंग या भौतिक योजना में स्नातक, के साथ नगर योजना या शहरी योजना या क्षेत्रीय योजना या हाउसिंग योजना या परिवहन योजना या शहरी रूपांकन या भूदृश्य वास्तुकला में स्नातक।

टिप्पणी— इस संबंध में इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स ऑफ इण्डिया द्वारा मान्यताप्राप्त अर्हताएं भी स्वीकार की जाएंगी।

(3) इस नियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त कराने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित की अभिप्रमाणित प्रति के साथ प्राधिकारी को आवेदन करेगाः—

(एक) प्रमाण पत्र जिन पर दावा आधारित है ; और

(दो) अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान के प्रतीक स्वरूप रसीद ।

(4) अनुज्ञप्ति मंजूर करने वाला प्राधिकारी एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उस व्यक्ति के ब्यौरे रखे जायेंगे जिसे अनुज्ञप्ति मंजूर की गई हो या जिसकी अनुज्ञप्ति नवीकृत की गई हो।

(5) अनुज्ञप्ति तीन वर्ष के लिये विधिमान्य होगी और उसी अवधि के लिये नवीकरण योग्य होगी ।

(6) शुल्क — अनुज्ञप्ति मंजूर करने का शुल्क निम्नानुसार होगा :—

(1) संरचना इंजीनियर, इंजीनियर तथा नगर योजनाकार रूपये 1500

(2) पर्यवेक्षकों रूपये 750

(3) समूह या एजेन्सी रूपये 3600

(7) मूल अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर उपनियम (6) में विहित शुल्क का भुगतान करने पर उसी अवधि के लिये अनुज्ञप्ति नवीकृत की जा सकेगी।

(8) अनुज्ञप्ति धारी अपनी अनुज्ञप्ति के निबंधनों के अनुसार कार्य करेगा ।

(9) कोई वास्तुविद् या कोई अनुज्ञप्त संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक/नगर योजनाकार इसमें नीचे दर्शाये गये कर्तव्यों का पालन करने के लिये सक्षम होगाः—

(क) **वास्तुविद—सक्षमता—** कोई भी वास्तुविद जो कि परिषद् में रजिस्ट्रीकृत है, भवन के लिये अनुज्ञा से संबंधित कार्य करने के लिये सक्षम होगा और निम्नलिखित प्रस्तुत करने का हकदार होगा :—

(क) सभी भवनों, चाहे वे किसी भी आकार तथा ऊंचाई के हों, की अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा सूचनाएं;

(ख) 500 वर्गमीटर तक के भू–खण्ड पर तथा तीन मंजिल या 11 मीटर ऊंचाई तक के अवासीय भवनों के लिए संरचनात्मक ब्यौरे तथा गणनाएं;

(ग) सभी भवनों के पर्यवेक्षण तथा पूर्णता का प्रमाण पत्र;

(घ) 4 हेक्टर तक के क्षेत्र विकास के लिये अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक और उनसे संबंधित सूचनाएं ; तथा

(ड) 4 हेक्टर तक के भूमि क्षेत्र के विकास के लिये पर्यवेक्षण प्रमाण–पत्र

(ख) संरचना इंजीनियर सक्षमता –

अनुज्ञप्त संरचना इंजीनियर भवन की अनुज्ञा से संबंधित कार्य कार्यान्वित करने के लिये सक्षम होगा तथा निम्नलिखित प्रस्तुत करने का हकदार होगा:–

(एक) 500 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर तथा तीन मंजिल या 11 मीटर की ऊंचाई तक के आवासीय भवनों के लिए अनुज्ञा से संबंधित सभीरेखांक तथा सूचनाएं;

(दो) समस्त भवनों के लिये संरचनात्मक ब्यौरे तथा गणनाएं ;

(तीन) समस्त भवनों के पर्यवेक्षण तथा पूर्णता का प्रमाण–पत्र;

(चार) एक हेक्टेयर तक के क्षेत्र के विकास के लिए अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक और संबंधित सूचनाएं;

(पांच) एक हेक्टेयर तक के भूमि क्षेत्र के विकास के लिये पर्यवेक्षण प्रमाणपत्र।

(ग) इंजीनयर सक्षमता– अनुज्ञप्त इंजीनियर नीचे दिये अनुसार भवन निर्माण के लिए अनुज्ञा से संबंधित कार्य करने लिये सक्षम होगा और निम्नलिखित प्रस्तुत करने का हकदार होगा:–

(एक) 300 वर्ग मीटर तक के भू–खण्ड पर तथा दो मंजिल या 7.5 मीटर की ऊंचाई तक के आवासीय भवनों से संबंधित सभी रेखांक तथा सूचनाएं;

(दो) 500 वर्ग मीटर तथा चार मंजिल (15 मीटर) तक की ऊंचाई के समस्त भवनों के लिये संरचनात्मक ब्यौरे एवं गणनाएं;

(तीन) सभी भवनों के लिए पर्यवेक्षण तथा पूर्णता का प्रमाणपत्र ;

(चार) 1 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के विकास के लिये अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा संबंधित सूचनाएं ; और

(पांच) 1 हेक्टेयर तक के भूमि क्षेत्र के विकास हेतु पर्यवेक्षण प्रमाणपत्र।

(घ) पर्यवेक्षक– सक्षमता – अनुज्ञप्त पर्यवेक्षक निम्नलिखित प्रस्तुत करने का हकदार होगा:–

(एक) 200 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर और दो मंजिल या 7.5 मीटर की ऊंचाई तक के आवासीय भवनों के लिए अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा संबंधित जानकारी ;

(दो) ऊपर (एक) में भवनों के लिए पर्यवेक्षण प्रमाणपत्र;

(ड) **नगर योजनाकार–सक्षमता–** अनुज्ञप्त नगर योजनाकार निम्नलिखित प्रस्तुत करने का हकदार होगाः–

(क) भूमि के आकार को विचार में लाए बिना विकास के लिए अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा संबंधित जानकारी ; और

(ख) ऊपर (क) में दिए गए अनुसार भूमि के विकास के लिए पर्यवेक्षण प्रमाण–पत्र

(च) **समूह या अभिकरणः–** जब अर्हता प्राप्त वास्तुविदों, इंजीनियरों, नगर योजनाकार का कोई अभिकरण या समूह कार्य कर रहा हो तो अर्हता और कार्य की सक्षमता, समूह या अभिकरण में व्यक्ति की उच्चतम सक्षमता के बराबर होगी।

27. अनुज्ञा स्वीकृत करना या अस्वीकृत करनाः–

(1) प्राधिकारी, रेखांक तथा विशिष्टियां या तो स्वीकृत कर सकेगा या उन्हें अस्वीकृत कर सकेगा या उन्हें ऐसे परिवर्तनों या निर्देशों या शर्तों जैसा कि वह उचित समझे, के साथ स्वीकृत कर सकेगा और उस पर अपना निर्णय परिशिष्ट–घ में आवेदक को संसूचित करेगा। स्वीकृत रेखांक (अमोनिया प्रिंट/सफेद प्रिंट) का एक सेट कपड़ा चढ़ा हुआ/लेमीनेटेड होगा, जो कि अभिलेख के लिये प्राधिकारी के कार्यालय में रखा जाएगा।

(2) यदि प्राधिकारी की राय में भू–खण्डों का अभिन्यास या मार्ग या पहुंच मार्ग का संरेखण, यातायात के सहज आवागमन में सहायक नहीं है या उससे संलग्न भूमियों के अभिन्यास तथा विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो, तो प्राधिकारी, आवश्यक समझे गये अनुसार अभिन्यास में परिवर्तन करने के लिए आवेदक से अपेक्षा कर सकेगा। संबंधित राज्य संकर्म विभाग द्वारा यथाविहित विकास कार्यो की विशिष्टियां जैसे सड़कें, मलवाहन, जल आपूर्ति, बिजली, विकास कार्यो में जोड़ी जाएंगी ।

28. अनुज्ञा स्वीकृत करने या उसे अस्वीकृत करने का परिसीमा काल–यदि अधिनियम की धारा–30 की उपधारा (5) में विहित कालावधि के भीतर प्राधिकारी अपनी अस्वीकृति या स्वीकृति के संबंध में आवेदक को लिखित में सूचना देने में असफल रहता है तो अनुज्ञा प्रदान की गई समझी जाएगी। तथापि किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी भी व्यक्ति को, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में, तथा विकास योजना या परिक्षेत्र योजना के उपबंधों के विरूद्व, या भूमि के पट्टे या स्वत्वों के निबंधनों के विरूद्व या कार्यस्थल पर प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के विरूद्व कार्य करने लिये प्राधिकृत करती है ।

29. अनुज्ञा देने से इंकार करने की स्थिति में कारण बताये जाएंगे– अनुमति देने से इंकार करने की दशा में प्राधिकारी ऐसा करने का कारण बतायेगा। प्राधिकारी यथासंभव, पहली बार में स्वतः प्रस्तुत आवेदन, रेखांकों,विशिष्टियों और दस्तावेजों पर सभी आपत्तियों को बतायेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्व की आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् पुनः प्रस्तुतिकरण के समय कोई नई आपत्तियां नहीं उठाई जाएं ।

30. आपत्तियों का निराकरण करते हुए स्वामी द्वारा रेखांकों का पुनः प्रस्तुत किया जानाः– एक बार रेखांक की सूक्ष्म जांच हो जाने तथा कमियों/आपित्तयां इंगित कर दिये जाने के पश्चात्, आवेदक कमियों/उठाई गई आपत्तियों का निराकरण करने के लिये रेखांक को परिवर्तित करेगा और उसे पुनः प्रस्तुत करेगा। प्राधिकारी पुनः प्रस्तुत दस्तावेजों/रेखांक की सूक्ष्म जांच करेगा और यदि उसमें और भी आपत्तियां हों तो आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा ।

31 आवेदक/ स्वामी के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य –

(1) न तो अनुज्ञा की स्वीकृति और न ही रेखांचित्रों तथा विशिष्टियों के अनुमोदन से और न ही भवन के परिनिर्माण के दौरान प्राधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षणों से आवेदक/ऐसे भवन का स्वामी, इन नियमों और लागू विकास रेखांकों की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करने के पूर्ण उत्तरदायित्व से किसी भी रूप से मुक्त नहीं होगा।

(2) **प्रत्येक आवेदक या स्वामी–**

(क) प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या भवन अधिकारी या उसके द्वारा सम्यक्रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, उस भवन या परिसरों में जिसके लिए परमिट दिया गया हो, इन नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी भी युक्तियुक्त समय में प्रवेश करने देगा;

(ख) स्थल के स्वामित्व या अधिकारी या हित से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा;

(ग) जहां प्रयोज्य हो वहां भवन जोनिंग ग्रेड, मल प्रवाह नालियों, जल प्रनल (वाटर मेंस), नलकारी (प्लम्बिग) संकेतों, सुरंग लगाने, सड़क, अधिभोग, विद्युत, राजमार्गों से संबंधित अनुज्ञा तथा प्रस्तावित कार्य के संबंध में संबंधित संस्थाओं से अपेक्षित अन्य सभी अनुज्ञाएं प्राप्त करेगा ;

(घ) परिशिष्ट ङ –1 में भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के आशय के संबंध में प्राधिकारी को सूचना देगा ;